



नगर निगम बीकानेर

नाम निर्देशन पत्र

मैं एतद्वारा नीचे वर्णित व्यक्ति को, जो राजथान नगर पालिकाएँ (अंशदायी भविष्य निधि तथा उपदान) नियम, 1969 में यथा परिभाषित मेरे परिवार के सदय है/या परिवार न होने की दशा में उस रकम को, जो निधि में मेरे जमा खाते में रहे, उस रकम के संदेय से पूर्व या उसके संदेय हो जाने किन्तु सन्दर्भ नहीं किये जाने के पूर्व मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में ग्रहण करने के लिये नाम निर्देशन करता हूँ और निर्देश देता हूँ कि उक्त रकम को, नियमानुसार निम्न व्यक्तियों में उनके नामों के सामने नीचे दर्शायी गई रीति से किया जायेगा:-

नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों का नाम और पता	अभिदायकर्ता सम्बन्ध	आयु	प्रत्येक को दी जाने वाली धन राशि या संचय का हिस्सा %	वे आकस्मिकतार्यें जिनके घटित होने पर नाम निर्देशन अधिधिमान्य हो जायेगा	उस व्यक्ति का नाम, पता, संबंध यदि कोई हो जिसकी अभिदायकर्ता की मृत्यु के पहले नाम निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में, नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का अधिकार चला जावेगा।
1	2	3	4	5	6

साक्षी:-

हस्ताक्षर
नाम

पद

४.

हस्ताक्षर

नाम

पद

हस्ताक्षर

नाम ()

)

अनुप्रमाणित

दिनांक:-

बीकानेर

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर